

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 24.01.2022 को
आयोजित / सम्पन्न 18वीं वित्त समिति के विनिष्ठिय (निर्णय)

डॉ० पी०पी०ध्यानी, मा० कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में 18वीं वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभागार कक्ष में दिनांक 24.01.2022 दिन सोमवार समय 11.30 बजे से सम्पन्न हुई जिसमें वित्त समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही :-

क्र०स०	नाम	पदनाम
01	डॉ०पी०पी०ध्यानी, मा० कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री वेदीराम, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री एम०एम०स०सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री आर०क०श्रीवास्तव, अपर सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री एस०एस०टोलिया, संयुक्त सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	संयोजक / सदस्य
06	श्री आर० पी० गुज्जा, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
07	श्री पी० कें० अरोङा, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
08	श्री सुरेश चन्द्र आर्य, सहायक लेखाधिकारी, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति को बैठक में उपस्थित सभी सदस्याणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई। वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु ०१ पर विगत 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेण्डा बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

John
S.
B.
A.
1

एजेंडा		विन्दु संख्या 01	विन्दु संख्या 02	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय / संस्कृति
एजेंडा बिन्दु	एजेंडा बिन्दु	<p>विगत 17वीं वित्त समिति की बैठक पर गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश संस्थान) दिनांक 11.02.2021 के विनिश्चयों (निर्णयों) पर कृत कार्यवाही—</p>	<p>विन्दु संख्या 01 वित्त समिति के बिन्दु संख्या बिन्दु-10(3) पर अर्थदण्ड भवन किये जाने हेतु शासन द्वारा यही पर अर्थदण्ड भवन किये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। 17वीं वित्त समिति के निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पृथक से सलांगन-01 पर प्रस्तुत की जा रही है।</p>	<p>16वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या बिन्दु-10(3) पर गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश संस्थान) पर अर्थदण्ड भवन किये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। 17वीं वित्त समिति के निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पृथक से सलांगन-01 पर प्रस्तुत की जा रही है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा इस प्रकरण पर वित्तार से चर्चा उपरांत अर्थदण्ड भवन किये जाने हेतु शासन द्वारा यही गयी 05 बिन्दुओं की सूचना के सापेक्ष सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त सूचना / विश्वविद्यालय एवं / विनियमावली आदि में इस सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित इस प्रकरण की पूरी जानकारी के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
एजेंडा बिन्दु	एजेंडा बिन्दु	<p>वित्त समिति के बिन्दु संख्या 06 पर परीक्षा भवन / अतिथि गृह निर्माण के अनुपालन के क्रम में महिला तकनीकी संस्थान, मुद्रौवाला हेतु निर्मित अनावासीय भवन पूर्ण हो जाने पर उक्त संस्थान हेतु विश्वविद्यालय निधि से पूर्व में निर्मित ग्री0—फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तत्काल ही महिला तकनीकी संस्थान से खाली कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया</p>	<p>17वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 06 पर परीक्षा भवन / अतिथि गृह निर्माण के अनुपालन के क्रम में महिला तकनीकी संस्थान, मुद्रौवाला हेतु निर्मित अनावासीय भवन पूर्ण हो जाने पर उक्त संस्थान हेतु विश्वविद्यालय निधि से पूर्व में निर्मित ग्री0—फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तत्काल ही महिला तकनीकी संस्थान से खाली कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया</p>	<p>वित्त वर्ष 2021-22 हेतु तैयार किये गये अनुमानित आय रु0 24.74 करोड़ के सापेक्ष रु0 18.47 करोड़ अनुमानित व्यय का अनुमान वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित आय रु0 24.74 करोड़ के सापेक्ष रु0 18.47 करोड़ अनुमानित व्यय का अनुमान वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>

बिन्दु संख्या 03	<p>तकनीकी विश्वविद्यालय का वितीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक आय-व्ययक अनुमोदनार्थ वास्तविक आय : रु 11.46 करोड वास्तविक व्यय : रु 13.63 करोड (- आधिक्य) : 02.17 करोड</p>	<p>वित समिति द्वारा वितीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक आय-व्ययक पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>वास्तविक आय : रु 0 11.46 करोड वास्तविक व्यय : रु 0 13.63 करोड</p>																		
बिन्दु संख्या 04	<p>विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0आई0ए0) विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों के पिथौरागढ़/गोपेश्वर/बोन उत्तरकाशी/सद्बौवाला एवं टनकपुर) के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक वित समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त न होने के कारण परियोजनाये पूर्ण नहीं हो पायी है एवं निर्माण कार्य बाधित है विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="1248 843 1411 1405"> <thead> <tr> <th>संख्या</th> <th>परियोजना का नाम</th> <th>परियोजना का नाम</th> <th>कार्यालयी संस्था को अवमुक्त धनराशि</th> <th>कुल अवमुक्त धनराशि</th> <th>भौतिक प्रगति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>एस0आई0टी0</td> <td>2273.25</td> <td>700.00</td> <td>719.29</td> <td>141.29 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>तकनीकी</td> <td>2109.38</td> <td>1048.86</td> <td>1049.86</td> <td>2098.72 98</td> </tr> </tbody> </table> <p>साथ ही विशेष रूप से एस0आई0टी0, पिथौरागढ़ के निर्माण कार्यों में गणवता सुधार किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	कार्यालयी संस्था को अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	1	एस0आई0टी0	2273.25	700.00	719.29	141.29 %	2	तकनीकी	2109.38	1048.86	1049.86	2098.72 98
संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना का नाम	कार्यालयी संस्था को अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति															
1	एस0आई0टी0	2273.25	700.00	719.29	141.29 %															
2	तकनीकी	2109.38	1048.86	1049.86	2098.72 98															

	संख्या	गोपेश्वर	उत्तरकाशी	महिला तथा भूमि सम्बन्धीय उत्तरकाशी	संख्या	उत्तरकाशी सम्बन्धीय उत्तरकाशी	गोप
3	वीन	2273.88	775.00	600.00	1575.00	70	%
4	महिला तथा भूमि सम्बन्धीय उत्तरकाशी	1639.20	808.68	819.60	1628.28	96	%
5	संख्या	2073.35	600.00	779.00	1379.00	75%	

अतः उक्त संघटक संस्थानों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने की अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बिन्दु संख्या 05

शत-प्रतिशत यूटी०य० निधि से निर्मित / निर्माणाधीन 09 कार्यों (गोपेश्वर सम्बन्धीय उत्तरकाशी) की वृद्धि एवं उक्त कार्यों के लैण्ड स्कैपिंग कार्य / म००००८० हेतु वर्कशॉप निर्माण एवं मा० कुलपति आवास निर्माण कार्य) की समय अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक

विश्वविद्यालय एवं संघटक संस्थानों की वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय निधि से निर्मित सभी योजनाओं पर दिनांक 31.03.2022 तक समय अवधि विस्तारण एवं इन योजनाओं हेतु शेष धनाशि के अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान भुगतान किया गया।

अतः कार्यपरिषद से स्वीकृति, सभी औपचारिकताओं की पूर्ति एवं योजनाओं पर विधिवत् हस्तांतरण हेतु उक्त योजनाओं पर दिनांक 31.03.2022 तक समय अवधि विस्तारित किये जाने एवं उक्त कार्यों के सापेक्ष शेष धनाशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यदारी संस्था को किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय निधि से निर्मित सभी योजनाओं पर दिनांक 31.03.2022 तक समय अवधि विस्तारण एवं इन योजनाओं हेतु शेष धनाशि के अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान भुगतान किये जाने हेतु चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान

लेखक
गोपेश्वर
वित्त समिति

	विस्तारित किये जाने एवं उक्त योजनाओं हेतु शेष धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	प्रत्येक संस्थान की भांति तकनीकी विश्वविद्यालय में भी एक स्वागत काउण्टर (Reception) का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ताकि आगामीकों को विश्वविद्यालय कार्य-कलाप सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जा सकें। साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों की बारिश/धूप आदि से सुरक्षा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली अन्तर्गत एवं न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत इन शेड निर्माण कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
बिन्दु संख्या 06	विश्वविद्यालय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली अन्तर्गत एक स्वागत काउण्टर (Reception) का निर्माण व वाहन पार्किंग हेतु इन शेड का निर्माण कराये जाने हेतु अनुमानित रु 20.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	प्रत्येक संस्थान की भांति तकनीकी विश्वविद्यालय में भी एक स्वागत काउण्टर (Reception) का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ताकि आगामीकों को विश्वविद्यालय कार्य-कलाप सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जा सकें। साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों की बारिश/धूप आदि से सुरक्षा हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली अन्तर्गत एवं न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत इन शेड निर्माण कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
बिन्दु संख्या 07	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 व संशोधित अधिनियम 2009 के नियम संख्या 1&(1)(ख) के अन्तर्गत कारपस फण्ड बनाया जाना प्रस्तावित है। कारपस फण्ड के उद्देश्य, शर्तों, दिश-निर्देश तेयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। 01. वित्त नियंत्रक - अध्यक्ष ।	विश्वविद्यालय में कारपस फण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। • इस सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा कारपस फण्ड निर्माण की संस्तुति प्रदान की गयी तथा कारपस फण्ड के समीचित प्रबन्धन व दिशा-निर्देश (Guidelines) तैयार करने हेतु प्रस्तावित समिति में उच्च शिक्षा एवं वित्त विभाग से भी एक-एक सदस्य नामित करने की संस्तुति की गयी। • मा० कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु सी०एस०आर० के तहत और

5
2016

✓

✓

✓

✓

✓

✓

	<p>02. कुलसचिव – सदस्य।</p> <p>03. सहायतेखाधिकारी – सदस्य।</p> <p>04. अधिकर्ता / सीठए – सदस्य।</p> <p>अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>अन्य एजेन्सियों/दानदाताओं से दान प्राप्त करने हेतु, IIA 1961 में Section 80G एवं Section 35 के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
बिन्दु संख्या 08	<p>विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये गोद के विकास कार्य हेतु ₹ 5.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।</p>	<p>इस योजना अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये सिध्धनिवाला गोद, देहरादून में स्थापित विद्यालय हेतु फर्नीचर, प्रशिक्षण, जागरकता कार्यक्रम आदि आयोजन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय किये प्रदान किया गया।</p>
बिन्दु संख्या 09	<p>विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाली विद्या परिषद/वित्त समिति/कार्यपरिषद/परीक्षा समिति/कार्यपरिषद/परीक्षा समिति में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को 14वीं प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को 14वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानदेय दर ₹ 3000.00 को पुनरीक्षित करते हुये ₹ 5000.00 किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत वित्त वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उक्त बैठकों में सम्बन्धित सदस्यों द्वारा अधिकार औनलाइन माध्यम से ही प्रतिभाग किया जा रहा है। अतः वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित दरों पर अनुमोदन एवं ऑनलाइन प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को भी पुनरीक्षित दरों पर मानदेय भुगतान का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत मानदेय दर ₹ 3000.00 (₹ 0 तीन हजार मात्र) को पुनरीक्षित करते हुये ₹ 5000.00 (₹ 0 पाँच हजार मात्र) किये जाने का प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया की यह मानदेय विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों के अधिकारियों को देय नहीं होगा।</p>


6
Date
11/06/2022

Signature

बिन्दु संख्या 10	<p>विश्वविद्यालय में शोध एवं विकास कार्यों के लिये बजट प्राविधिकन कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ एम०फार्म० पाठ्यक्रमर० 44.87 लाख एम०टैक पाठ्यक्रम र० 14.44 लाख</p>	<p>प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>विश्वविद्यालय एम०फार्म० संकाय हेतु प्रयोगशाला उपकरण हेतु रु० 17.62 लाख , उपकरणों की ए०एम०सी०० / सर्विसिंग आदि पर रु० 5.25 लाख एवं अन्य उपयोगी पुस्तके क्रय आदि पर रु० 22.00 लाख का व्यय अनुमानित व्यय सहित कुल 44.87 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है। साथ ही एम० टैक संकाय द्वारा शोध एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न ई-जनरल्स क्रय किये जाने हैं जिन पर लगभग रु० 14.44 लाख का व्यय अनुमानित किया जा रहा है। प्रस्ताव का विवरण संलग्न किया जा रहा है।</p> <p>अतः विश्वविद्यालय में शोध एवं विकास कार्यों पर कुल रु० 59.31 लाख के व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>इस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय एम०फार्म० संकाय हेतु प्रयोगशाला प्रथम चरण में केवल 03 स्मार्ट क्लासेस प्राथमिकतानुसार निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्तावित है ताकि प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस प्रयोजन हेतु रु० 25.00 लाख का बजट प्राविधिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव का विवरण संलग्न किया जा रहा है।</p>
बिन्दु संख्या 11	<p>विश्वविद्यालय एम०टैक पाठ्यक्रम हेतु स्मार्ट क्लासेस बनाये जाने के लिये रु० 25.00 लाख का बजट प्राविधिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित समिति के अनुमोदनार्थ।</p>	<p>विश्वविद्यालय एम०टैक पाठ्यक्रम में हेतु अन्य संस्थानों की भाँति स्मार्ट क्लासेस बनाया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस प्रयोजन हेतु रु० 25.00 लाख का बजट प्राविधिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव का विवरण संलग्न किया जा रहा है।</p>	<p>विश्वविद्यालय एम०टैक पाठ्यक्रम में हेतु अन्य संस्थानों की भाँति स्मार्ट क्लासेस बनाया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस प्रयोजन हेतु रु० 25.00 लाख का बजट प्राविधिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव का विवरण संलग्न किया जा रहा है।</p>
बिन्दु संख्या 12	<p>विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू०कें०एस०ई००५००५० कॉउंसलिंग (बी०टैक) 2021 के सफल संचालन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी (समन्वयक) को कॉउंसलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु रु० 12000.00 मानदेय तथा नियमानुसार यात्रा भता</p>	<p>विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष यू०कें०एस०ई००५००५० कॉउंसलिंग एवं जैईमैन कॉउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। इस चर्तुर्थ श्रेणी कार्मिक के साथ-साथ वाहन चालक को भी रु० 5000/-का मानदेय स्वीकृत किया गया :—</p>	<p>वित समिति द्वारा कांडेसिलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रस्तावित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही चर्तुर्थ श्रेणी कार्मिक के साथ-साथ वाहन चालक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसकी नोडल अधिकारी (समन्वयक) — रु० 12000/-</p>

<p>एवं महार्षि भरा भुगतान तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रु 8000.00 एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को रु 5000.00 मानदेय भुगतान का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>सम्पादित किया जाता है तथा इस कार्य में विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्य की सम्पूर्ण अवधि हेतु निम्न प्रकार मानदेय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. नोडल अधिकारी (समन्वयक) – रु0 12000.00 02. यूटीयू टृतीय श्रेणी कार्मिक – रु0 8000.00 03. यूटीयू चतुर्थ श्रेणी कार्मिक – रु0 5000.00
<p>बिन्दु संख्या 13</p> <p>वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक सम्बद्ध संस्थानों पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी० की वसूली कर जी0एस0टी० में जमा किये जाने हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 से समर्त सम्बद्ध संस्थानों पर सम्बद्धता शुल्क के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी० के साथ लिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।</p>	<p>वर्षपु एवं सेवाकार विभाग (जी0एस0टी०) द्वारा सम्बद्धता शुल्क पर जी0एस0टी० जमा किये जाने की मांग की जा रही है। अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों से वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी० की वसूली का प्रस्ताव एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 से सम्बद्धता शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी० शुल्क के साथ प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>
<p>बिन्दु संख्या 14</p> <p>विश्वविद्यालय के समर्त अधिकारियों एवं एम0टैक व एम0फार्म० विभागाध्यक्षों को रोजमर्मा के दैनिक व्यायों के भुगतान हेतु Temporary Imprest (TI) के रूप में रु0 5000.00 मात्र की धनराशि स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।</p>	<p>विश्वविद्यालय के सुचारू सचालन हेतु सभी अधिकारियों एवं एम0टैक /एम0फार्म० विभागाध्यक्षों को विभिन्न दैनिक व्यायों हेतु Temporary Imprest (TI) रूप में रु0 5000.00 मात्र की धनराशि स्वीकृति की जानी प्रस्तावित है।</p>
<p>बिन्दु संख्या 15</p>	<p>विश्वविद्यालय वेतन मद में रु0 4.00 करोड़ तथा सहायक अनुदान हेतु वित्त वर्ष से इजी0 क्षेत्र में छात्रों के घटते वित्तीय समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर शासन को पूर्व ही</p>

	<p>रु0 14.47 करोड सहित कुल रु0 18.47 करोड का बजट शासन से प्राविधानित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।</p> <p>वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>रुक्षान व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनेक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के कारण प्रवेश क्षमता में भारी कमी की आरी है। इस कारणवश विश्वविद्यालय की आय साल दर साल घटती जा रही है। अतः विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु वेतन मद में रु0 4.00 करोड तथा सहायक अनुदान हेतु रु0 14.47 करोड सहित कुल रु0 18.47 करोड का बजट शासन से प्राविधानित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>प्रेषित किये गये वर्ष 2022-23 के बजट प्राविधान पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
बिन्दु संख्या 16	<p>ऑडिटोरियम में टीक्यूप के माध्यम से क्रय की गयी एल०ई०टी० स्किन एवं अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु एक 40 KVA UPS तथा ऑडिटोरियम में एक 40 KVA तथा 20 KVA UPS क्रय एवं ऑडिटोरियम में हिटिंग सिस्टम व पोडियम आदि क्रय हेतु हेतु विश्वविद्यालय निधि से रु0 20.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को देखते हेतु एक 40 KVA UPS, 20KVA UPS तथा संचालित केन्द्रवित पोषित योजनाओं एवं केन्द्र सरकार द्वारा अन्य वित्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लिया जाय और इस हेतु विश्वविद्यालय में एक नेटवर्किंग सेल का गठन किया जाय।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा भी की गयी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित केन्द्रवित पोषित योजनाओं एवं केन्द्र सरकार द्वारा अन्य वित्त योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लिया जाय और इस हेतु विश्वविद्यालय में एक नेटवर्किंग सेल का गठन किया जाय।</p>
बिन्दु संख्या 17	<p>ऑडिटोरियम आय में टीक्यूप के माध्यम से क्रय की गयी एल०ई०टी० स्किन एवं अन्य विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हेतु हेतु एक 40 KVA तथा 20 KVA UPS क्रय एवं ऑडिटोरियम में हिटिंग सिस्टम व पोडियम आदि क्रय हेतु हेतु विश्वविद्यालय निधि से रु0 20.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।</p>	<p>विगत वर्ष से विश्वविद्यालय की घटती आय में वृद्धि हेतु यूटी०य०० एम०फार्म० अनुभाग द्वारा फार्मसी में अल्प अवधी कोर्स संचालन में होने वाले अनुमानित व्यय रु0 16.00 लाख एवं एम०टैक विभाग द्वारा संचालित अल्प अवधी कोर्स पर होने वाले अनुमानित व्यय रु0 2.43 लाख के व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय आय में वृद्धि किये जाने हेतु विश्वविद्यालय एवं एम०फार्म० पाठ्यक्रम द्वारा अल्प अवधी कोर्स संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है विस्तृत विवरण सलग्न।</p>


No. 25/2022-23
Date: 20/07/2022
Signature: 

बिन्दु संख्या 18	<p>विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कार्यों के सम्पादन हेतु वित्त समिति से प्रत्याशा में उपनल कार्योंतर स्वीकृति की भुगतान किये गये रु 6500.00 के मानदेय पर वित्तीय स्वीकृति एवं वर्ष में एक बार उक्त मानदेय भुगतान किये जाने उक्त मानदेय भुगतान का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय में समय—समयम पर अतिरिक्त कार्यों के सम्पादन हेतु उपनल के माध्यम से कार्यरत समरत कार्मिकों को वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान किये गये रु 6500.00 एवं चतुर्थ श्वेषी कार्मिकों को दीपावली के पर्व पर वर्ष मानदेय पर वित्त समिति से वित्तीय स्वीकृति एवं एक बार रु 6500 मानदेय के रूप में भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यात् स्वीकृति सहित वित्त समिति द्वारा सर्वसमिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
बिन्दु संख्या 19	<p>वीर माध्यों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के 06वें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन हेतु रु 20.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु टेन्टेज, डिगी निर्माण, विज्ञापन/प्रकाशन, मोबाइल, मोबेन्टो, भोजन/सल्कार, साज—सज्जा आदि मर्दों हेतु रु 20.00 लाख का अनुमानित व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>
बिन्दु संख्या 20	<p>तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में वीर माध्यों सिंह भण्डारी जी की घोषणा के क्रम में तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माध्यों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाने पर विश्वविद्यालय प्रांगण में वीर माध्यों सिंह भण्डारी जी की मूर्ति स्थापित की जानी है। इस प्रयोजन हेतु रु 10.00 लाख का अनुमानित व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
बिन्दु संख्या 21	<p>विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में स्थापित फल्वारे एवं भवन के ऊपर लगी छड़ियों की मरम्मत एवं अन्य छट-फूट कार्यों हेतु विभिन्न मर्दों पर रु 05.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय भवन स्थापित फल्वारे एवं भवन के ऊपर लगी छड़ियों की मरम्मत व आवश्यकतानुसार रंग-रोगन, ढट-फूट मरम्मत, आदि कार्यों हेतु रु 5.00 लाख का अनुमानित व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>

<p>बिन्दु संख्या 22</p> <p>आयोजित होने वाले कार्यशाला / सेमिनार / दीक्षांत समारोह आदि के लिये आवश्यक उपकरण क्रय हेतु रु0 15.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>बिन्दु संख्या 23</p> <p>अन्य बिन्दु मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से।</p>	<p>विश्वविद्यालय की स्थापना से कार्यरत उपनल के माध्यम से प्रयोजित कर्मचारियों को विगत 09 वर्षों से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। अतः बढ़ती मंहगाई दृष्टिका॑त कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतारी किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार-विमर्श/निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों हेतु सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन करते हुये प्रोत्साहन भर्ते से वंचित कार्मिकों के हितलाभ हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित कर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं द्वारा उपनल कार्मिकों को दिये जा रहे प्रोत्साहन भर्ते/मानदेय आदि का अध्ययन करते हुये नियमानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्याबाही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।</p>
<p>01</p> <p>शासन के प्रांतक 900/XLI-A/2021-65/08TC दिनांक 06.09.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय की स्थापना से कार्यरत संविदा/आउटसोर्स एवं संविदा के उपनल के माध्यम से वर्ष 2014 से उपनल के कार्यरत कार्मिकों के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर वर्चा</p> <p>02</p> <p>विश्वविद्यालय की सेमेरस्टर परीक्षाओं में परीक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों कार्यविधि के एजेण्डा बिन्दु संख्या 10 पर सेमेरस्टर परीक्षा कार्यों में कार्यविधि के अतिरिक्त समय पर सेवा दे रहे कार्मिकों को ही वर्ष एक बार परीक्षा नियंत्रक द्वारा अतिरिक्त कार्य सत्यापित किये जाने पर रु0 7000/- (रु0 7000/-) सात हजार मात्र) की धनराशि मानदेय के रूप में भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।</p>	<p>विश्वविद्यालय की 17वीं वित्त समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 10 पर सेमेरस्टर परीक्षा कार्यों में कार्यविधि के अतिरिक्त समय पर सेवा दे रहे कार्मिकों को ही वर्ष एक बार परीक्षा नियंत्रक द्वारा अतिरिक्त कार्य सत्यापित किये जाने पर रु0 7000/- (रु0 7000/-) सात हजार मात्र) की धनराशि मानदेय के रूप में भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।</p> <p>इसी प्रस्ताव को पुनरीक्षित करते हुये विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में सेमेरस्टर परीक्षाओं के सफल साचालन हेतु मानदेय एवं उत्तर पुरिक्षाओं के मूल्यांकन उपरात बैकर के</p>	
<p>01. चैकर हेतु रु0 2.00 प्रति उत्तर पुरिक्षका तथा अधिकतम रु0 400.00 प्रतिदिन।</p> <p>02. दूसी श्रेणी कार्मिक रु0 10,000.00</p> <p>03. वाहन चालक रु0 7000.00</p> <p>04. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक रु0 7000.00</p>	<p>01. चैकर हेतु रु0 2.00 प्रति उत्तर पुरिक्षका तथा अधिकतम रु0 400.00 प्रतिदिन।</p> <p>02. दूसी श्रेणी कार्मिक रु0 10,000.00</p> <p>03. वाहन चालक रु0 7000.00</p> <p>04. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक रु0 7000.00</p>	<p>11</p> <p>2016</p>


	03. वाहन कार्मिक सेमेस्टर	चालक / चतुर्थ श्रेणी मानदेय दरों को पुनरीक्षित किये जाना प्रस्तावित है	प्रति :- अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
03	वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा मा० कुलपति महोदय की अनुमति से श्री मुकेश कुमार पाण्डेय, स्टोर कीपर वीर माध्यों सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रार्थना पर अनुसार उनकी नियुक्ति के समय स्टोर कीपर के घोड़ पे 1900 को वर्ष 2018 से 2400 किये जाने के अनुसार उन्हें वित्तीय लाभ दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निम्नानुर अनुमोदन प्रदान किया गया :— सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी गठित की जाय। उक्त कमेटी की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय लाभ विनियमावली निगत होने की तिथि के उपरांत मुकेश कुमार पाण्डेय, स्टोर कीपर को नियमानुसार वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रदेश में लागु आदर्श आचार संहित समाप्ति उपरांत की जाय।	


बैठक के अंत में सभी सदर्शकों द्वारा मा० कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हये वित्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई।



(पी०के० अरोड़ा)
परीक्षा नियंत्रक
वी०मा०सि०म०उ०प्र०विठि
वी०मा०सि०म०उ०प्र०विठि
मा०सि०म०उ०प्र०विठि
मा०सि०म०उ०प्र०विठि

11/6
(एम०म०सेमावल)
अपर सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

प्रतिहस्ताक्षर


(डॉ० पी० धादिला)
कुलपति / अध्यक्ष


(एस०स०स०टोलिया)
संयुक्त सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन


(आर०के०श्रीवा०स्तव)
अपर सचिव न्याय
उत्तराखण्ड शासन